अंक-7, भाग-1, जनवरी - जून 2021
ISSN 2319-8818
J.ID (UGC) : 101002499

इतिहास

(शोध-पत्रिका)

Principal
Dayanand College
HISAR

Princi
Dayanand
HISAR

पत्रिका प्राप्त करने हेतु :
E-mail : khamapublishersales@gmail.com
ISSN 2319-8818

ICHR

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्

Scanned with Oken Scanner

विषयानुक्रम

सम्पादकीय ix
ईश्वर शरण विश्वकर्मा

शोध लेख :

- ठिकाना दस्तावेज - आर्थिक इतिहास के स्रोत (18वीं-19वीं शताब्दी के मेवाड़ के सन्दर्भ में) 1-14
  -के.एस. गुप्ता
- काशी में कुण्डों की परम्परा और गाहड़वाल अभिलेखों में वर्णित कुण्ड 15-40
  -सीताराम दुबे
- अनेक देशों में ईसाई पंथ की स्वीकार्यता के कारण एवं स्वास्तिक स्वरूप में परिवर्तन 41-56
  -राजीवरंजन उपाध्याय
- भारतीय संस्कृति में गन्धर्व एवं गान्धर्व-विद्या 57-73
  -रामप्यारे मिश्र
- हरियाणा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन : एक अध्ययन 74-94
  -महेन्द्र सिंह
- मदनमोहन मालवीय : सनातन धर्म, एकता और राष्ट्रप्रेम 95-117
  -भुवन कुमार झा
- साहित्य के मानकों में शिव एवं शक्ति के आयुध और उनका महत्व 118-140
  -रूमी गुप्ता
- फ़िजी में भारतीय गिरमिटियाओं की राजनैतिक चेतना: एक ऐतिहासिक अध्ययन 141-152
  -गोपाल मिश्रा

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

इतिहास : शोध-पत्रिका
अंक 7, भाग-1, जनवरी-जून, 2021
ISSN-2319-8818 © ICHR
J.ID (UGC) : 101002499

हरियाणा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन: एक अध्ययन

महेन्द्र सिंह*

शोध सारांश

सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किए जाने के बाद चलाया गया यह पहला बड़ा जन आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरूआत गांधी जी की ऐतिहासिक डाण्डी यात्रा (साबरमती से 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक) के साथ हुई। इस यात्रा की समाप्ति पर गांधी जी ने 6 अप्रैल को गुजरात में डाण्डी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा तथा अन्य लोगों को भी इसी तरह अहिंसात्मक ढंग से कानून तोड़ने का आह्वान किया और इसकी विधिवत शुरूआत की। इसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने नमक कानून तोड़े। इस आंदोलन के प्रारम्भ में ही गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा लक्ष्य स्वतंत्रता है, इससे कम कुछ और नहीं। इस आंदोलन में स्वदेशी, बहिष्कार, शराब की दुकानों के समक्ष धरने तथा चरखा चलाने के कार्यक्रम अपनाए गए। सरकार द्वारा दमन नीति प्रयोग करने के उपरान्त जब आंदोलन में कमी नहीं आई तो सरकार ने शान्तिपूर्वक तरीके व बातचीत की नीति भी अपनाई। इस हेतु तीन गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 व 1932 में लंदन में आयोजित किया गया। कांग्रेस ने मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। द्वितीय गोल मेज कांफ्रेंस की असफलता के बाद यह आन्दोलन पुनः शुरू कर दिया। इस बार यह पहले की भांति लोकप्रिय नहीं हो सका लेकिन फिर भी यह 1934 ई. तक चलता रहा।

वर्तमान हरियाणा क्षेत्र जो कि दक्षिणी पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था, वह भी इस आन्दोलन का हिस्सा था तथा इस क्षेत्र में भी लोगों ने इसकी

* अध्यक्ष, इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा (हरियाणा)

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

प्रारम्भिक पृष्ठभूमि से लेकर हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत: घटनाओं के विषय में केवल इस क्षेत्र का वर्णन असम्भव नहीं परन्तु कठिन अवश्य है। इसलिए पंजाब प्रान्त की उन घटनाओं को साथ भी लिया जा रहा है जो अति महत्वपूर्ण थे एवं जिन्होनें इस क्षेत्र के आन्दोलन को प्रभावित किया।

बीज शब्द अधिवेशन, आन्दोलन, साईमन कमीशन, समिति, नम्बरदार, जलदार।

लाहौर अधिवेशन के निर्णयों व साबरमती आश्रम में 14 से 16 फरवरी को गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारम्भ करने का फैसला किया गया तथा गांधी जी को यह अधिकार दे दिया कि वे जब चाहें, जैसे चाहें, आन्दोलन की शुरूआत करें। इसी सभा में यह भी फैसला किया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात पर अमल करें कि उनके द्वारा स्वयं या इसमें शामिल किसी भी सदस्य द्वारा हिंसात्मक साधनों का प्रयोग न हो।[1]

गांधी जी ने 27 फरवरी 1930 को आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा घोषित की। जिसमें डांडी यात्रा, नमक कानून को तोड़ने तथा यात्रा में शामिल होने वाले 78 सदस्यों के बारे में बताया गया। इसी कड़ी में गांधी जी ने लोगों से अनुरोध किया कि कांग्रेस कार्यसमिति के समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में पूर्णतया अहिंसा का पालन करते हुए हिस्सा लें तथा इस विश्वास में आस्था व्यक्त करें।[2]

इस तरह अन्तत: गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को विजय अथवा मृत्यु के आदर्शवाक्य के साथ प्रात: 6:30 बजे साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारम्भ किया। इसमें प्यारेलाल, लाला सूरजभान व प्रेम राज हरियाणा क्षेत्र के थे।[3] इस तरह गांधी जी 243 मील की पैदल यात्रा के उपरान्त 5 अप्रैल को डाण्डी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर सरकारी आदेश का उल्लंघन किया। इसी के साथ पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ हो गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में प्रारम्भ हो गया था। ऐसे में पंजाब

1. *इण्डियन एनुअल रजिस्टर, 1928*, खण्ड-I, पृ. 26, 336-37; द ट्रिब्यून फरवरी 18, 1930
2. *इण्डियन एनुअल रजिस्टर, 1928*, खण्ड-I, पृ. 30, पायनियर, मार्च 13, 1930
3. *दी ट्रिब्यून* 14, 1930

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

प्रान्त में भी गतिविधियाँ आगे बढ़ी। पंजाब प्रान्त की कांग्रेस शाखा की बैठक में 4 अप्रैल को फैसला लिया गया कि क्षेत्र में नमक कानून को 8 अप्रैल को तोड़ा जाए। यदि कहीं इसमें देरी होती है तो यह राष्ट्रीय सप्ताह (6-13 अप्रैल) से देर न हो।[4] पंजाब प्रान्त की विशेष कांफ्रेंस 5-7 अप्रैल 1930 को गुजरांवाला में मौलाना जफर अली की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पं. जवाहर लाल नेहरू, लाला दुनीचंद, डॉ. सत्यपाल, डॉ. गोपीचन्द भार्गव, बाबू पुरूषोतम दास टंडन, डॉ. मोहम्मद आलम, मौलाना बुखारी, मेजर तारा सिंह व सरदार किशन सिंह शामिल हुए। इसमें पंजाब प्रान्त के सभी क्षेत्रों के कार्यकर्त्ताओं को कार्य दिया गया। राष्ट्रीय सप्ताह के बारे में भी निर्देश स्पष्ट दिए।[5]

26 अप्रैल को पंजाब प्रान्तीय कमेटी ने लाला छबील दास को पूरे प्रान्त में नमक बनाने तथा शराब की दुकानों के समक्ष धरने देने वाली समिति का मुखिया बनाया। उन्हें सहयोग देने के लिए लाला दुनीचन्द, डॉ. मोहम्मद आलम, लाला मोहन लाल, डॉ. गोपीचन्द भार्गव, श्रीमती जुरूथी व लाला अंचीत राम को सदस्य बनाया गया। इसी सात सदस्यीय समिति को यह निर्देश भी दिया गया कि वे आंदोलन हेतु जन सहयोग के लिए भी योजना बनाए।[6]

आंदोलन की पृष्ठभूमि

सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि काफी पहले तैयार हो गयी थी, भारत के अन्य भागों की तरह पंजाब प्रान्त में भी ये देखी जा सकती है। साईमन कमीशन की नियुक्ति के पश्चात 28 जनवरी 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में तथा डॉ. एम.ए. अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम व मौहम्मद अली के सान्निध्य में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि इस तरह के कमीशन से भारत में भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता बल्कि इसके लिए सम्मानजनक परिस्थितियों में गोलमेज सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। इसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 3 फरवरी 1928 को साईमन कमीशन भारत आ रहा है, उस दिन हड़ताल की जाए।[7] इस मीटिंग के लिए गए

4. *नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाईब्रेरी*, अखिल भारतीय भारतीय कांग्रेस कमेटी पेपर, 1930 नं. 8
5. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 8, 1930
6. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 30, 1930
7. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1928, नं. 1

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

फैसले के अनुरूप पूरे प्रान्त में हड़ताल हुईं। जालंधर, लुधियाना व हिसार अन्य स्थानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था।[8] लाला दुनीचन्द ने लाहौर में अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि सरकार की राजनीति के चलते लाहौर में हड़ताल नहीं हो सकी।[9] दूसरी ओर ट्रिब्यून लिखता है कि भिवानी, अम्बाला, जगाधरी व रोहतक में हड़ताल हुई, भले ही इसका असर आंशिक रहा हो।[10]

स्कीनर रियासत में कृषक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्वाभ्यास

जिस तरह बारदोली में कृषक सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलनरत थे, उसी तरह हरियाणा के हांसी क्षेत्र में भी सत्याग्रह पर आधारित कृषक आंदोलन पं. नेकीराम शर्मा के नेतृत्व में चला। पं. नेकीराम शर्मा का आंदोलन स्कीनर रियासत में चला। यह रियासत कर्नल जैम्स स्कीनर को कम्पनी सरकार द्वारा उसकी सेवाओं के बदले 15 गाँवों के रूप में दी।[11] उसने हांसी को अपना मुख्यालय बनाया तथा वह यहां से अपने राज्य रूपी जागीर का प्रशासन चलाता था। स्कीनर की इस क्षेत्र में काफी पहचान थी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात यह उसके दो पुत्रों कर्नल स्टेनले स्कीनर व आर.एच. स्कीनर के हाथ में आ गई। जो क्रमशः 8 व 7 गांव के मुखिया के रूप में कार्य करते थे।[12] स्कीनर बंधुओं का कार्य करने का तरीका उनके पिता से भिन्न था। वे दमन, शोषण, बेगार, घूसखोरी तथा मजदूरों पर कर व महंगे उपहार लेने इत्यादि के कारण बदनाम हो गए।[13] पं. नेकीराम शर्मा स्कीनर स्टेट में 9 जनवरी 1929 को आए तथा लोगों की समस्याएं सुनकर उन्होंने एक आंदोलन की शुरूआत की। इस बारे में उन्होंने स्कीनर बंधुओं से भेंट कर अनुरोध किया, परन्तु परिणाम नकारात्मक रहा। 10

---

8. *उपरोक्त*
9. *दी ट्रिब्यून*, फरवरी 5, 1928
10. *दी ट्रिब्यून*, फरवरी 6, 1928
11. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1928, नं0 1; दी ट्रिब्यून, नवम्बर 18, 1928
12. एच. डी. सिंह, नेकीराम शर्मा, *अभिनन्दन ग्रन्थ*, कलकत्ता, 1955, पृ. 55; जगदीश चन्द्र, हरियाणा: [illegible]

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with OKEN

फरवरी 1929 में अम्बाला डिवीजन के कमिश्नर ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए किसानों व स्कीनर के बीच समझौता करवाया। परन्तु इसे लागू नहीं किया जा सका।[14] इसके फलस्वरूप पं. नेकीराम शर्मा ने किसान सभा की स्थापना की तथा स्वयं उसके अध्यक्ष बने।[15] शुरूआती दौर में आंदोलन को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फिर भी आंदोलन की पहली वर्षगांठ 9 जनवरी 1930 को उत्साहपूर्वक ढ़ंग से मनाई गई तथा आंदोलन को और प्रभावी ढ़ंग से बढ़ाने का फैसला किया गया।[16]

जब आंदोलन लोकप्रिय हुआ तो 21 अप्रैल 1930 को कृषकों के 6 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी प्रतिक्रिया में किसान सभा के 25 सदस्यों ने थाना खुर्द में पुलिस सब इंस्पैक्टर व उसकी टीम पर आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप इन सदस्यों के विरूद्ध चोरी व मारपीट इत्यादि का मुकदमा दर्ज कर लिया।[17] इसके बाद कृषकों व स्कीनर बंधुओं के बीच टकराव की स्थितियाँ लगातार बनती गईं। अन्ततः स्कीनर बंधु झुके तथा पहले किए समझौते को लागू करने पर सहमत हो गए।

हरियाणा क्षेत्र में आन्दोलन का प्रारम्भ

डाण्डी यात्रा के पूरी होने के बाद लाला सूरजभान को अम्बाला डिवीजन के आंदोलन की गतिविधियों की जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने अपनी गतिविधियों की शुरूआत नारायणगढ़ व अम्बाला तहसील के विभिन्न स्थानों की यात्रा करके तथा लोगों से विदेशी कपड़े का बहिष्कार व शराब की दुकानों पर धरने के लिए अनुरोध किया।[18]

कांग्रेस ने आंदोलन की मुख्यधारा के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ भी चला रखी थीं। 19 फरवरी 1930 को पं. श्रीराम शर्मा ने झज्जर में एक जनसभा का आयोजन कर लोगों से अनुरोध किया कि वे इस सरकार को कर न दें। क्योंकि यह सरकार ईमानदार नहीं है बल्कि दमन, अत्याचार व अनैतिक ढ़ंग से

14. *दी ट्रिब्यून*, फरवरी 28, 1929
15. एच.डी. सिंह, वही पृष्ठ 2; *पंजाब लेजिस्लेटीव जर्नल डिबेट, 1929*, खण्ड XIV, पृष्ठ 559-60
16. *दी ट्रिब्यून*, मई 15, 1929
17. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1930, नं. 250/1
18. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 20, 1930

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

कार्य कर रही हैं। इस तरह हिसार क्षेत्र के बड़वा गांव में 21 फरवरी 1930 को के.ए. देसाई ने जनसभा में विदेशी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि आज के दिन एक अंग्रेज की न्यूनतम मजदूरी 32 रूपये दैनिक है जबकि भारतीयों के लिए मात्र 3 रूपये है। इस समय में उन्होंने अपने गांव में पंचायतें स्थापित करने का अनुरोध भी किया।[19] लाला श्यामलाल रोहतक (जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे) ने 5 मार्च 1930 को सरकार की कार्य प्रणाली की आलोचना की एवं विदेशी शासन को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोहतक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 10 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दिवस मनाया। रोहतक में पं. श्रीराम शर्मा व लाला सूरजभान सहित 11 सदस्यीय कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी वक्तव्य दिए तथा नमक बनाकर, नमक कानून तोड़ा।[20] डॉ. गोपीचन्द भार्गव ने 30 अप्रैल 1930 को लाहौर में एक सभा को सम्बोधित करते हुए पुलिस व सेना के जवानों से विद्रोह करने को कहा। उन्होंने कहा कि "अब समय आ गया कि जो लोग सेना व पुलिस के जवान के रूप में सरकारी सेवा में है वे नौकरी छोड़कर देश की आजादी के लिए कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति में जो व्यक्ति सरकार के विरूद्ध कार्य नहीं करता, वह प्रजा हितैषी नही हैं।[21]

नमक सत्याग्रह

देश के अन्य भागों की भांति पंजाब में भी नमक सत्याग्रह आंदोलन चला। पंजाब में सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा को डॉ. सत्यपाल ने 8 अप्रैल 1930 को घोषित किया। नमक सत्याग्रह में इस क्षेत्र के हर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। रिवाड़ी में एक 12 वर्षीय कन्या कस्तूरीबाई ने सत्याग्रहियों द्वारा बनाए गए नमक को 60रू में खरीदा। ये 60 रूपये उसने 2 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जमा किए थे।[22] रोहतक जिला का जंहादपुर गांव खारे पानी के लिए

19. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1930, न. 17/31
20. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 4, 1930
21. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1930, न. 170
22. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 23, 1930

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

विख्यात था। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस गांव के कुओं को ठेके पर ले लिया तथा ठेके पर लेने सम्बन्धित दस्तावेजों में उन्होंने पटवारी के पास दर्ज करवाया कि वे वहां पर नमक बनाएंगे। रोहतक के डिप्टी कमिश्नर को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पटवारी को आदेश दिया कि वह उस ठेके को रद्द करे। इस तरह सरकारी आदेश से स्थानीय जैलदार के पक्ष में यह ठेका छोड़ा गया।[23]

नमक सत्याग्रह में महिलाओं की सहभागिता पंजाब में लाहौर, अमृतसर, जालंधर व अम्बाला में प्रमुखता से थी। इनमें मुख्य रूप से श्रीमती एल. आर. जरूथी, कुमारी विद्यावती, श्रीमती सूरजभान एवं श्रीमती पार्वती देवी थीं।[24]

हिसार क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नौजवान भारत सभा के सदस्यों द्वारा किया गया उन्होनें 23 अप्रैल 1930 को भिवानी व सिरसा में नमक कानून तोड़ा तथा कांग्रेस की गतिविधियों व कार्यक्रमों को लोगों के समक्ष रखा।[25] शाहबाद में इस सत्याग्रह का नेतृत्व एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता रल्ली राम द्वारा किया गया। सरकार ने उसका नाम इस क्षेत्र के खतरनाक डाकू के साथ जोड़कर 30 अगस्त 1930 को उसे गिरफ्तार कर लिया।[26] अगस्त 1930 में रोहतक के विभिन्न गांवों में जाकर रामफल नामक एक कार्यकर्त्ता ने लोगों को गांधी जी की डाण्डी यात्रा तथा नमक कानून तोड़ने के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा अदालतों में भारतीयों के हितों के पक्ष में निर्णय नहीं लिए जाने के विषय में भी अवगत कराया। उनकी बातों का स्थानीय लोगों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। इस तरह सरकार ने उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में जनता के दबाव में आने के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा।[27] फलतः सरकार की इस कार्यवाही ने उन्हें पहले से अधिक लोकप्रिय व शाक्तिशाली बना दिया।

Principal
Dayanand College
HISAR

23. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 1 व 16, 1930
24. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 15, 24, 1930, हिन्दुस्तान टाईम्स, अप्रैल 23, 25, 1930
25. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 26, 1930
26. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1930, न. 17/31
27. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1930, न. 173/8

Scanned with Oken Scanner

स्वदेशी बहिष्कार तथा शराब की दुकानों के समक्ष धरने

भिवानी में स्थानीय व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति बनाई जोकि उन दुकानदारों पर नजर रखती थी, जिन पर शक होता था कि विदेशी कपड़े बेच रहे हैं।[28] हरियाणा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ये लोगों ने विदेशी कपड़ा प्रयोग न करने की शपथ ली। इस बारे में जगाधरी व हिसार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम काफी बड़े स्तर पर था।[29] हिसार में अक्टूबर 1930 में कपड़ा व्यापारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच समझौता हुआ कि व्यापारियों के पास जो माल पड़ा है उसे ही बेचें, अन्य विदेशी कपड़ा न मंगवाएं। यदि कोई व्यापारी इस समझौते का उल्लघंन करता है तो उसका माल जब्त कर लिया जाएगा।[30] अम्बाला में भी इसी तरह का समझौता हुआ. उल्लंघन करने वालों से जुर्माना लिया तथा भविष्य में समझौता न तोड़ने की शपथ ली।[31]

अम्बाला में बहिष्कार व धरनों का कार्यक्रम निरन्तर सक्रिय होता गया। यहाँ महिलाओं ने मन्दिरों के समक्ष धरने दिए तथा उन लोगों को अन्दर जाने दिया जो खद्दर का कपड़ा पहने थे जबकि विदेशी कपड़े वालों का विरोध किया। 1930 ई. में जन्माष्टमी के दिन सरकार ने कार्यकर्त्ताओं पर नियन्त्रण रखने के लिए मन्दिरों के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी तथा कांग्रेस की किसी भी सभा, सम्मेलन व संगोष्ठी को प्रतिबन्धित कर दिया। कानून का पालन ना करने के कारण 30 कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया गया था। इन स्थितियों में भी धरनों का कार्य कम नहीं हुआ। जिमसें महिलाओं तथा बाल भारत से जुड़े बच्चों की भूमिका अहम थी।[32] इस तरह के धरने का कार्यक्रम जन्माष्टमी के दो दिन बाद जैन मन्दिर में भी किया गया। महिलाओं की इन गतिविधियों का नेतृत्व श्रीमती सूरजभान व श्रीमती दूनी चन्द्र ने किया। उनके प्रयासों से अम्बाला में खद्दर काफी लोकप्रिय हुआ।[33]

---

28. *दी ट्रिब्यून* अप्रैल 12, 13, 1930, हिन्दुस्तान टाईम्स, अप्रैल 13, 1930
29. *दी ट्रिब्यून* फरवरी 21, 1930
30. *दी ट्रिब्यून* नवम्बर 5, 1930
31. *दी ट्रिब्यून* दिसम्बर 17, 1930
32. *दी ट्रिब्यून* अगस्त 20, 1930
33. *दी ट्रिब्यून*, मई 6, 1930

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस समिति के निर्देशों के अनुसार पूरे क्षेत्र में शराब की दुकानों के समक्ष धरने दिए गए। रोहतक व भिवानी में यह कई दिनों तक चला। भिवानी में जब यह काफी लम्बा चल गया तो नगर पालिका प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को कहा कि वे धरना वापिस ले लें, क्योंकि प्रशासन स्थानीय क्षेत्र में शान्ति स्थापना के नियम के तहत इन शराब की दुकानों को बन्द करने के लिए तैयार है।[34]

कई स्थानों पर जनता उन लोगों के विरूद्ध भी हुई जिन्होंने शराब बन्दी में हिस्सा नहीं लिया। अम्बाला में एक कारीगर द्वारा सहयोग न दिए जाने के कारण अनाज मण्डी की पंचायत में उसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया गया। जिसके बाद वह भी इस आन्दोलन में सक्रिय हो गया। इस तरह की स्थिति एक शराब विक्रेता की हुई, जनता ने उसका बहिष्कार करते हुए, उसका घर घेर लिया। यहां तक कि सफाई करने वाले मजदूरों ने भी उसे सेवा प्रदान नहीं किया।[35] सरकार ने कई स्थानों पर कार्यकर्त्ताओं के विरूद्ध मुकदमे दर्ज किए तथा लाठी चार्ज किया। रोहतक में इस तरह की घटना 3 नवम्बर 1930 को हुई। पुलिस ने सामान्य जनता पर उस समय लाठी चार्ज किया जब वे लोकरण तालाब में स्नान कर रहे थे।[36]

जिस समय यह शराब बन्दी आन्दोलन चल रहा था, उसी समय पंजाब विधान परिषद् के चुनाव का कार्यक्रम था। कांग्रेस द्वारा धरने के कार्यक्रम को तेजी दी गई। रोहतक व अम्बाला में यह अधिक कारगर रहा।[37] इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने रोहतक के मदीना में नम्बरदारों से प्रथम जुलाई 1930 को एक बैठक की तथा अनुरोध किया कि सरकार को दिए जाने वाले कर को न दे या रोक दें एवं शराब बन्दी में भी हिस्सा लें।[38]

शराब बन्दी व धरने के कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका भी काफी अच्छी थी। अम्बाला में विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर धरने में श्रीमती

---

34. *दी ट्रिब्यून* अगस्त, 1, 13-15, 30, सितम्बर 17, 18, 1930
35. *दी ट्रिब्यून* मई 8, 1930
36. *दी ट्रिब्यून* अगस्त 12, 1930
37. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1930, न. 18/10
38. *पंजाब लेजिस्लेटिव जर्नल डिबेट 1930*, 2905 XVI, पृ. 226

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner

सरदूल सिंह, श्रीमती पार्वती देवी, स्वदेश कुमारी, श्रीमती दुनीचन्द, श्रीमती सूरजभान व जुरूथी बहनों ने सक्रियता से हिस्सा लिया।[39] जून 1931 में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं व दुकानदारों के बीच धरने को लेकर कई बार तकरार भी हुआ। कई बार कपड़ों व शराब के खरीददार वापिस लौट जाते थे। बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं व दुकानदारों के बीच यह समझौता भी हुआ कि भविष्य में आंदोलनकारियों के साथ होंगे तथा नुकसान के कारण दुकानों पर रखा कपड़ा बेचने की आज्ञा होगी।[40] दूसरी ओर अम्बाला में प्रभात फेरी के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया तथा दुर्व्यवहार भी किया गया।[41]

सरकार की नीति व कार्यवाही

पुलिस का व्यवहार तथा कार्य प्रणाली हर दृष्टि से असंतोषजनक थी। लाठी चार्ज, गाली गलौच व मुकदमेबाजी के संदर्भ में सरकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 1930 से 31 मई 1930 तक करनाल, रोहतक, गुड़गांव व अम्बाला में 42 वारदातें हुई, जिनमें 500 से अधिक कार्यकर्त्ताओं को पुलिस द्वारा पकड़ा गया।[42] इस बारे में सरकार ने विशेष कानून धरना देने वालों के विरूद्ध लागू किया।[43] पुलिस ने अम्बाला, कालका व रोहतक में छापामारी की तथा उन संस्थाओं व व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमे दर्ज किए जहां से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक प्रयोग के बर्तन, राष्ट्रीय ध्वज, कार्यकर्त्ताओं की वर्दियाँ व इस तरह का सामान मिला जिससे इस बात की पुष्टि होती थी कि व्यक्ति कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल होता है।[44] इसमें पुलिस द्वारा अपनाई गई दमनकारी कार्यवाही में अम्बाला के गांधी आश्रम, कांग्रेस कार्यालयों के साथ-साथ लाला हरिकृष्ण खुल्लर, डॉ. दलीप चन्द व लाला मोती राम आर्य के निवासों की तलाशी ली गई। कांग्रेस के जिला सचिव डॉ. दलीप चन्द के घर से पुलिस को एक रजिस्टर व कागज मिले, जिसमें कांग्रेस की गतिविधियों की जानकारी थी।[45]

39. *दी ट्रिब्यून* मई 14, 16, 20, जुलाई 11, 12, 25, अक्टूबर 24, 1930
40. *पंजाब लेजिस्लेटिव जर्नल डिबेट* 1930, 2905 XVIII, पृ. 722
41. *दी ट्रिब्यून नवम्बर* 4, 1930
42. *पंजाब लेजिस्लेटिव जर्नल डिबेट 1931*, खण्ड-XX, पृ. 23
43. *राष्ट्रीय अभिलेखागार*, नई दिल्ली, होम पॉलिटिकल, 1930, न. 18/10
44. *दी ट्रिब्यून* सितम्बर 26, 1930
45. *लीडर*, सितम्बर 25, 1930

Principal
Dayanand College
HISAR

Scanned with Oken Scanner